न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 156 / 2024

1. रामदेव पुत्र हजारी जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामापुत्र गोपी जाति नायक निवासी मथानियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला केकड़ी (राज.)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–04.12.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा मथानियां पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 131 में दर्ज खसरा नं. 1196 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.19 और खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.38 कुल किता 03 कुल रकबा 0.71 हैक्ट0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर, प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट, पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। तहसीलदार भिनाय को नोटिस तामिली के उपरान्त जवाब बाबत् समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब सरकार प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब सरकार बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी से एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम मथानियां के खाता संख्या 131 संवत 2071–2074(जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा मथानियां पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 131 में दर्ज खसरा नं. 1196 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.19 और खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.38 कुल किता 03 कुल रकबा 0.71 हैक्ट0** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा

को 500/— रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी